जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 16 / डी– 393 दिनांकः– 29/6/16

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 125वीं बैठक दिनांकः 29.06.16 को अपराह्नः 04.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''चिन्तन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		125:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 124वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 124 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। एलपीसी की 124वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 124:6 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार का उपक्रम को किये गये आंवटन में दर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) के स्थान पर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) के संबंध में जारी आदेश क्रमांक डी–339 दिनांक 13.06.16 की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया। एलपीसी की 124वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 124:38 में अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–5 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि. के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत भूमि का हिस्सा है। अतः समिति द्वारा उक्त आवंटन के संबंध में लिये गये निर्णय को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
2.	1	125:2	विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर योजना में 6400 वर्गगज (5351 वर्गमीटर) भूमि आवंटन का निर्णय भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 28.11.06 में लिया गया था लेकिन मौके पर भूमि का क्षेत्रफल 5476.26 व.मी. हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 125.28 व. मी. के आवंटन के संबंध में।	विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर योजना में 6400 वर्गगज (5351 वर्गमीटर) भूमि आवंटन का निर्णय भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 28.11.06 में लिया गया था। लेकिन मौके पर भूमि का क्षेत्रफल 5476.26 व.मी. हो जाने के फलस्वरूप उपायुक्त जोन–1 द्वारा अतिरिक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 125.28 व.मी. के आवंटन के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि उक्त भूमि संस्था द्वारा अपने कब्जे में कर बाउण्ड्रीवाल निर्मित कर रखी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	1	125:3	मैसर्स गोलछा इन्वेस्टमेन्टस प्रा.लि. को भूखण्ड संख्या सी–6बी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर का मूलरूप से आवंटित क्षेत्रफल से 97.69 व.ग. बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटित करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा मैसर्स गोलछा इन्वेस्टमेन्टस प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या सी–6बी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के मूलरूप से आवंटित भूखण्ड के निकट 97.69 व. ग. भूमि उपलब्ध होने से स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार भूखण्ड संख्या सी–6बी के निकटवर्ती भूखण्ड संख्या बी–40 के स्वामी ने भी उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या सी–6बी के स्वामी को आवंटन करने पर कोई

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर

				आपत्ति नहीं जताई है। एलपीसी की 124वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है व पूर्ण राइट ऑफ वे उपलब्ध है। उक्त भूखण्ड के समीपस्थ भूखण्ड प्रार्थी के स्वामित्व के ही हैं। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की 97.69 वर्गगज भूमि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	8	125:4	राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेतु आरक्षित भूखण्ड के स्थान पर संशोधन कर अन्य भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेतु आरक्षित भूखण्ड पर न्यायिक वाद होने से उसके स्थान पर संशोधन कर समीप स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी–6, 7, 8, 10 व 11 कुल क्षेत्रफल 55270.77 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा उक्त क्षेत्रफल में से 8725.90 वर्गमीटर पर न्यायिक वाद होने के कारण वर्तमान में शेष अविवादित 46544.87 वर्गमीटर भूमि का आवंटन प्रस्तावित किया है। प्राधिकरण से नवीन आवंटन नीति के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को वेस्ट वे हाईट योजना में प्रस्तावित 46544.87 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा आवंटन निःशुल्क चाहा गया है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।
5.	9	125:5	ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम चक सालगरामपुरा के खसरा नं. 179 क्षेत्रफल 10.08 में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त के प्रस्तावानुसार एलपीसी की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 के प्रस्ताव संख्या 124:12 में ग्राम चक सालगरामपुरा के खसरा नं. 107 क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर के स्थान पर खसरा नं. 179 क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर पढ़ा जाने का निर्णय लिया गया।
6.	9	125:6	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पुलिस चौकी गोनेर हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पुलिस चौकी गोनेर हेतु ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2921 रकबा 0.94 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि अर्थात् 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस चौकी गोनेर हेतु खसरा नं. 2921 में से 1000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
7.	11	125:7	श्री आशीष गौड़ पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहन गौड़ को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–125 के विनिमय में भूखण्ड संख्या सी–129,	श्री आशीष गौड़ पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहन गौड़ को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–125 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर 30 फीट चौडी रोड पर आवंटन किया गया था। उपायुक्त द्वारा पूर्व में जारी योजना मानचित्र व पुनः रि–प्लानिंग किये गये मानचित्र में भूखण्ड संख्या उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को भूखण्ड

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

			सी–145, सी–524 आवंटित किये जाने बाबत।	संख्या डी–125 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–129, सी–145, सी–524 प्रत्येक 90 वर्गमीटर 9 मीटर रोड पर स्थित में से एक भूखण्ड विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–125 के स्थान पर समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या सी–129, सी–145, सी–524 प्रत्येक 90 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित है।
8.	11	125:8	श्रीमती मंजू जोनवाल पत्नि श्री जगदीश जोनवाल को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–333 के विनिमय में भूखण्ड संख्या सी–129, सी–145, सी–524 आवंटित किये जाने बाबत।	श्रीमती मंजू जोनवाल पत्नि श्री जगदीश जोनवाल को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–333 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर 30 फीट चौड़ी रोड पर आवंटन किया गया था। उपायुक्त द्वारा पूर्व में जारी योजना मानचित्र व पुनः रि–प्लानिंग किये गये मानचित्र में भूखण्ड संख्या उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को भूखण्ड संख्या डी–333 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–129, सी–145, सी–524 प्रत्येक 90 वर्गमीटर 9 मीटर रोड पर स्थित में से एक भूखण्ड विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–333 के स्थान पर समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या सी–129, सी–145, सी–524 प्रत्येक 90 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित है।
9.	12	125:9	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि भूमि अविकसित है व किसी योजना का हिस्सा नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
10.	16	125:10	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को बीसलपुर पाईपलाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इंजिनियर्स कॉलोनी के पार्क में आवंटन बाबत।	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. द्वारा इंजिनियर्स कॉलोनी के पार्क में 1200 वर्गमीटर भूमि चाही है। उपायुक्त जोन–16 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को बीसलपुर पाईपलाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इंजिनियर्स कॉलोनी के दो पार्कों क्रमशः 1026.23 वर्गगज व 2930.20 वर्गगज में से एक पार्क की भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को इंजिनियर्स कॉलोनी के दो पार्कों में से एक पार्क क्षेत्रफल 2930.20 भूमि में से 1200 वर्गमीटर (पार्क की भूमि में से आवंटन हेतु कॉलोनिवासियों/विकास समिति की सहमति की शर्त पर)

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर

				योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
11.	13ए	125:11	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 23 शिक्षकों को राजभवन आवासीय योजना में 180 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किया जाकर किया गया था। वर्तमान में पीताम्बरा आवासीय योजना में नियमानुसार देय 200 वर्गमीटर के भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त जोन–13ए द्वारा समीप स्थित अन्य योजना राजभवन में 180 वर्गमीटर के आवासीय नॉन कॉर्नर 26 रिक्त भूखण्डों की सूची प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा 23 पात्र आवेदकों को राजभवन आवासीय योजना में 180 वर्गमीटर के उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पात्र शिक्षकों का विवरण निम्नानुसार है:– 1. श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा 2. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह 3. श्रीमति अनिल कुमारी राठोड 4. श्री बसन्त लाल जोशी 5. श्री हरि राम पुत्र श्री तुलछाराम चौधरी 6. श्री जैसाराम धायल 7. श्री ओमप्रकाश गनेरिया 8. श्री राजेश कुमार मुखीजा 9. श्री कुलदीप कुमार व्यास 10. श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी पुत्र श्री गणेश लाल 11. श्री हरि सिंह गौदारा 12. श्री बलविन्द्र सिंह बराड 13. श्री रामवीर सिंह वर्मा 14. श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह 15. श्रीमति अर्चना पत्नी श्री होशियार सिंह 16. श्री शैलेष कुमार पलोड पुत्र स्व. श्री रामगोपाल पलोड़ 17. श्री समीमुद्दीन पुत्र बाबूलाल 18. श्रीमति आशा दशोरा 19. श्री राम गोपाल 20. श्री जगदेव सिंह सिधू 21. श्री अजय मेहता पुत्र श्री कंवरभान मेहता 22. श्री प्रहलाद राय सुखवाल 23. श्री सुशील कुमार शर्मा समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त 23 शिक्षकों को राजभवन योजना में उपलब्ध 26 नॉन कॉर्नर 180 वर्गमीटर के भूखण्डों में से प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	7	125:12	श्री सत्यनारायण रेड्डी, प्रिसिडेंट न्यू इनिशिएटिव, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राईजेज लिमिटेड को कुबेर कॉम्पलेक्स	उपायुक्त जोन–7 द्वारा श्री सत्यनारायण रेड्डी, प्रिसिडेंट न्यू इनिशिएटिव, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राईजेज लिमिटेड को 250–300 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु कुबेर कॉम्पलेक्स के भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर

			के भूखण्ड संख्या 8 के आवंटन हेतु।	भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 4.5 में चिकित्सा संस्थानों को भूमि आवंटन से पूर्व चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने का प्रावधान है। नविवि की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3.1 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड का निवेश करने वाली संस्था को प्रीमियर संस्था माना है। बिन्दु संख्या 3.2 में प्रीमियर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जाने का उल्लेख है। जिसका परीक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. व एम.ओ.यू. के अनुसार संस्था प्रीमियर संस्थान की श्रेणी में आती है। आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 1.3 में बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटन नहीं किया जाना चाहिये, उल्लेखित है। चूंकि उक्त भूमि प्राधिकरण में विकसित क्षेत्र की बेशकीमती भूमि है। आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.2 में निजी कम्पनी को आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर विकसित भूमि के आवंटन का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राईजेज लिमिटेड को कुबेर कॉम्पलैक्स योजना, वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर की 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन की अभिशंषा करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। चिकित्सा विभाग को टिप्पणी हेतु पत्र लिखा गया है, किन्तु टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी को बुलाने हेतु अनुरोध किया जावे।
13.	5	125:13	श्री आलोक अग्रवाल पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल को न्यू आतिश मार्केट में पुनर्वास (मैट्रो) के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित किये गये व्याव. भूखण्ड संख्या 266 के स्थान पर अन्य सम क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा श्री आलोक अग्रवाल पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल को न्यू आतिश मार्केट में पुनर्वास (मैट्रो) के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित किये गये व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 266 के स्थान पर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 231 क्षेत्रफल 41.82 वर्गमीटर का आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा श्री आलोक अग्रवाल को भूखण्ड संख्या 266 का पट्टा दिनांक 04.06.2015 को जारी किया गया है। जबकि उक्त भूखण्ड संख्या 266 वर्ष 2012 में ही किसी अन्य को नीलामी द्वारा विक्रय किया जा चुका है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 266 के स्थान पर समान चौडाई की सड़क के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 231 को विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान चौडाई की सड़क पर स्थित है व किसी अन्य को आवंटित नहीं है।
14.	5	125:14	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एस.टी.पी. हेतु ग्राम देवरी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 544 की 10000 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एस.टी.पी. हेतु ग्राम देवरी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 544 की 10000 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प

उपायुक्त (एल.ए.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम देवरी के खसरा नं. 544 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि एस.टी.पी. हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि पर सम्पूर्ण स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
15.	4	125:15	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एस.टी.पी. हेतु ग्राम कस्बा सांगानेर व ग्राम ढोल का बाढ़ में भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एस.टी.पी. हेतु ग्राम कस्बा सांगानेर के खसरा नं. 3612 (आंशिक) व 3644 की 10000 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एस.टी.पी., बैचिंग प्लान्ट, लैबर कैम्प, स्टोर, लैब व ऑफिस हेतु ग्राम ढोल का बाढ के खसरा नं. 60 (आंशिक), 70 (आंशिक), 71, 72 (आंशिक), 77 (आंशिक), 91 से 96 की 22500 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम कस्बा सांगानेर के खसरा नं. 3612 (आंशिक) व 3644 की 10000 वर्गमीटर भूमि व ग्राम ढोल का बाढ में 60 (आंशिक), 70 (आंशिक), 71, 72 (आंशिक), 77 (आंशिक), 91 से 96 की 22500 वर्गमीटर भूमि में से 7500 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम ढोल का बाढ के खसरा नं. 60 (आंशिक), 70 (आंशिक), 71, 72 (आंशिक), 77 (आंशिक), 91 से 96 की 22500 वर्गमीटर में से 3000 वर्गमीटर भूमि बेचिंग प्लान्ट, 5000 वर्गमीटर भूमि लैबर कैम्प, 4500 वर्गमीटर भूमि स्टोर कैम्प, 1500 वर्गमीटर भूमि लैब, 1000 वर्गमीटर भूमि ऑफिस हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये (रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिया जावे। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
16.	7	125:16	वार्ड नं. 14 में ग्राम झोटवाडा, तहसील जयपुर के खसरा नं. 449 राजकीय भूमि 1000 वर्गगज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा वार्ड नं. 14 में ग्राम झोटवाडा, तहसील जयपुर के खसरा नं. 449 राजकीय भूमि 1000 वर्गगज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि उक्त भूमि अविकसित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 449 में से 1000 वर्गगज भूमि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	8	125:17	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम बम्बाला के खसरा नं. 757 में से क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर भूमि 25 एम.एल.डी., क्षेत्रफल 3784 वर्गमीटर स्टोर–ऑफिस हेतु, खसरा नं. 758 में 6716 स्टोर–ऑफिस, क्षेत्रफल 1718 वर्गमीटर बेचिंग प्लान्ट हेतु व खसरा नं. 759 में से 1282 वर्गमीटर बेचिंग	उपायुक्त जोन–8 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम बम्बाला के खसरा नं. 757 में से क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर भूमि 25 एम.एल.डी., क्षेत्रफल 3784 वर्गमीटर स्टोर–ऑफिस हेतु, खसरा नं. 758 में 6716 स्टोर–ऑफिस, क्षेत्रफल 1718 वर्गमीटर बेचिंग प्लान्ट हेतु व खसरा नं. 759 में से 1282 वर्गमीटर बेचिंग प्लान्ट हेतु आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बम्बाला

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			प्लान्ट हेतु आरक्षण करने बाबत।	के खसरा नं. 757 में से क्षेत्रफल 12500 वर्गमीटर भूमि 25 एम.एल.डी. (एस.टी.पी.) हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम बम्बाला के खसरा नं. 757 में से क्षेत्रफल 3784 वर्गमीटर स्टोर–ऑफिस हेतु, खसरा नं. 758 में 6716 स्टोर–ऑफिस, क्षेत्रफल 1718 वर्गमीटर बेचिंग प्लान्ट हेतु व खसरा नं. 759 में से 1282 वर्गमीटर बेचिंग प्लान्ट हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये (रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिया जावे। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
18.	8	125:18	पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा में भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने बाबत।	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(64)नविवि/3/2009–पार्ट 10 जयपुर, दिनांक 23.07.13 के द्वारा 12 पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करने हेतु 40.50 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रत्येक को आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 5 परिवारों को एलपीसी की 103वीं बैठक में आवंटन का निर्णय ले लिया गया है। शेष 7 में से 2 परिवारों को पात्र नहीं माना है। अब उपायुक्त जोन–8 द्वारा शेष 5 हिन्दू विस्थापित परिवारों (बगनमल/शाहमीर, कश्मीरमल/बगनमल, परवीना बाई/अखिल कुमार, अमर सिंह/बगनमल व राजकुमार/बगनमल) को आवंटन हेतु पात्रता का परीक्षण कर जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा में 40.50 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर गोविन्दपुरा योजना में उक्त 5 परिवारों को प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
19.	9	125:19	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम जिरोता के खसरा नं. 741 क्षेत्रफल 8.35 है. में से 3000 वर्गमीटर भूमि स्टोर/ऑफिस हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम जिरोता के खसरा नं. 741 क्षेत्रफल 8.35 है. में से 3000 वर्गमीटर भूमि स्टोर/ऑफिस के लिए आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जिरोता के खसरा नं. 741 में से 3000 वर्गमीटर भूमि स्टोर/ऑफिस हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये (रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिये जाने का निर्णय लिया गया। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
20.	9	125:20	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम दहलावास के खसरा नं. 354 क्षेत्रफल 14.09 है. में से 3000 वर्गमीटर भूमि बैच मिक्सिंग प्लांट हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम दहलावास के खसरा नं. 354 क्षेत्रफल 14.09 है. में से 3000 वर्गमीटर भूमि बैच मिक्सिंग प्लांट के लिए आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दहलावास के खसरा नं. 354 क्षेत्रफल 14.09 है. में से 3000 वर्गमीटर भूमि बैच मिक्सिंग प्लांट हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये

प्रति० उपायुक्त (एल.पी.सी.) विकास प्राधिकरण, जयपुर

				(रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिये जाने का निर्णय लिया गया। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
21.	9	125:21	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम गोनेर के खसरा नं. 487 क्षेत्रफल 2.76 है. में से 8000 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी एवं कार्यालय कम स्टोर हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम गोनेर के खसरा नं. 487 क्षेत्रफल 2.76 है. में से 5000 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. एवं 3000 व.मी. कार्यालय कम स्टोर के लिए आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम गोनेर के खसरा नं. 487 क्षेत्रफल 2.76 है. में से 5000 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम गोनेर के खसरा नं. 487 क्षेत्रफल 2.76 है. में से 3000 व.मी. भूमि कार्यालय कम स्टोर हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये (रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिया जावे। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
22.	2	125:22	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम किशनबाग में कार्यालय कम स्टोर व एस.टी.पी. हेतु भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम किशनबाग के खसरा नं. 117 मिन क्षेत्रफल 3724.21 व.मी. ऑफिस कम स्टोर हेतु व 118 मिन क्षेत्रफल 2786.38 व.मी. एस.टी.पी. हेतु भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जविप्रा द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को द्रव्यवती नदी (अमानीशाह नाले) के कायाकल्प एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अनुबन्धित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम किशनबाग के खसरा नं. 118 मिन क्षेत्रफल 2786.38 व.मी. भूमि एस.टी.पी. हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम किशनबाग के खसरा नं. 117 मिन क्षेत्रफल 3724.21 व.मी. भूमि ऑफिस कम स्टोर हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिये (रिंग रोड परियोजना में सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा.लि. को दिये गये अनुसार) दिया जावे। लीज अवधि राज्य सरकार से स्तर पर तय कराई जावे।
बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
23.	9	125:22(1)	स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति को ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 402, 403, 404, 426, 427, 432 कुल किता 6 रकबा 6.99 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति को ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 402, 403, 404, 426, 427, 432 कुल किता 6 रकबा 6.99 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि उक्त भूमि का वर्तमान भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन संस्थानिक होने के पश्चात् प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।
24.	7	125:22(2)	कर्नल एस.पी. शर्मा को नित्यानन्द नगर–ए, भूखण्ड संख्या 19 के साथ लगती हुई त्रिकोणी भूमि क्षेत्रफल 114.87 वर्गगज भू–पट्टी का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा कर्नल एस.पी. शर्मा को नित्यानन्द नगर–ए, भूखण्ड संख्या 19 के साथ लगती हुई त्रिकोणी भूमि क्षेत्रफल 114.87 वर्गगज भू–पट्टी का आवंटन करने हेतु एजण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रकरण में माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर के रेफरेन्स संख्या 583/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.16 के क्रम में भूखण्ड संख्या

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				19, नित्यानन्द नगर–ए के साथ लगती हुई 114.87 वर्गगज भू–पट्टी के आवंटन बाबत समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भू–पट्टी 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जावे।
25.	12	125:22(3)	श्री विजेन्द्र सिंह को भूखण्ड संख्या ए–271, रघुनाथ विहार के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	श्री विजेन्द्र सिंह को रघुनाथ विहार का भूखण्ड संख्या ए–271 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन जरिये लॉटरी किया गया था। जबकि उक्त भूखण्ड पूर्व में ही श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को आवंटित होकर दिनांक 24.07.15 को लीजडीड जारी की जा चुकी थी। अतः उपायुक्त द्वारा श्री विजेन्द्र सिंह को भूखण्ड संख्या ए–271 के स्थान पर समान चौडाई की सडक पर व समान क्षेत्रफल के भूखण्ड संख्या ए–397, ए–94, ए–248 व बी–187 में से एक भूखण्ड विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–271 के स्थान पर उसी ब्लॉम में समान चौडाई की सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या ए–397, ए–94 व ए–248 प्रत्येक 90 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित है।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

29/6/16

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

29/6/16

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
5.	श्री ओ. पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
7.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
8.	श्री ओ. पी. शशि, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
9.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–7 व 9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11 व 12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री मनोज सोनी, अधीक्षण अभियंता, जविप्रा, जयपुर	विशेष आमंत्रित
13.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त जोन–16	विशेष आमंत्रित